श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश
518 न्यू मोती बंगला, एम.जी.रोड, इन्दौर–452007
Phone: 0731-2432822, Fax : 0731-2536600
Email : lcmpenf@gmail.com Website :http://labour.mp.gov.in

क्रमांक 1/2/नवम/प्रवर्तन/2016/3680-737, इंदौर, दिनांक 04-2-16,

प्रति,

1. समस्त अपर श्रमायुक्त, मुख्यालय, इंदौर
2. समस्त उप श्रमायुक्त, इंदौर/भोपाल
3. समस्त सहायक श्रमायुक्त, संभागीय श्रम कार्यालय, (म.प्र.)
4. समस्त श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक, जिला श्रम कार्यालय, (म.प्र.)

विषयः–बोनस भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के कतिपय प्रावधानों में संशोधनों के परिपालन हेतु दिशा निर्देश।
संदर्भः–कार्यालयीन परिपत्र समसंख्या क्रमांक 2018–74 दिनांक 19.01.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें। जिसके माध्यम से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अंतर्गत किए गए संशोधन के परिपालन हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए थे।

उक्त संबंध में इस कार्यालय को प्राप्त जानकारी के अनुसार मान. उच्च न्यायालय, केरल द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी सिविल 3025/2016 सी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27/01/2016 द्वारा उक्त संशोधन को दिनांक 01/04/2014 से लागू किये जाने संबंधी प्रावधान को स्थगित कर दिया गया है। इसी आशय का आदेश मान. कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा भी याचिका क्रमांक 5311/2016 में पारित किया गया है।

अतः उक्त के प्रकाश में बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में किये गये संशोधनों को गत वित्तीय वर्ष 2014–15 से लागू करने के संबंध में कोई प्रवर्तन कार्यवाही मान. न्यायालय के आगामी आदेश तक नहीं की जावे। तथापि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु उक्त संशोधन यथावत रूप से प्रभावी रहेंगे।

(के.सी.गुप्ता)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश इंदौर

क्रमांक 1/2/नवम/प्रवर्तन/2016/3738, इंदौर, दिनांक 04-2-16,

प्रतिलिपिः–

प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश इंदौर